

प्रेषक

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- (1) प्रमुख सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।
- (2) प्रमुख सचिव,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

लग्नांक : 09 मार्च, 2019

विषय- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के राजकीय चिकित्सकों/दन्त शल्य चिकित्सकों को प्राईवेट प्रैक्टिस पर प्रतिबन्ध के एवज में अनुमन्य प्रैक्टिस बन्दी भत्ता की दर का पुनरीक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याल महोदय द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के राजकीय चिकित्सकों/दन्त शल्य चिकित्सकों को प्राईवेट प्रैक्टिस पर प्रतिबन्ध के एवज में देय प्रैक्टिस बन्दी भत्ता की दर, जो पूर्व के शासनादेश संख्या-2578/सेक-2-पॉच-09-7(55)/97, दिनांक 24 अगस्त, 2009 द्वारा प्रवृत्त है, को सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा लागू की गयी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की संरचना में तात्कालिक प्रभाव से निम्नवत् पुनरीक्षित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है :--

- (1) प्रैक्टिस बन्दी भत्ता मूल वेतन का 20 प्रतिशत इस शर्त के साथ अनुमन्य किया जाय कि मूल वेतन तथा प्रैक्टिस बन्दी भत्ता का योग ₹0 2,37,500/- प्रतिमाह से अधिक न हो।
- (2) प्रैक्टिस बन्दी भत्ता को सेवा-नैवृत्तिक लाभों की गणना के साथ-साथ मंहगाई भत्ते और अन्य भत्तों, जिनमें वे भत्ते शामिल नहीं हैं, जिनके

.....2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

सम्बन्ध में लागू आदेशों में अन्यथा प्रावधान है, की गणना के प्रयोजन से वेतन माना जाता रहेगा। इन आदेशों के तहत मंहगाई भत्ते का अभिप्राय सातवें वेतन आयोग की सम्बन्धित वेतन संरचना में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा स्वीकृत मंहगाई भत्ते से है।

- (3) प्रैक्टिस बन्दी भत्ता उन्हीं चिकित्सकों को अनुमन्य होगा जिन्हें अभी तक चिकित्सा अनुभाग-2 के उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 24 अगस्त 2009 एवं इस विषय पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत पूर्व के शासनादेशों में निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य हो रहा है।
- (4) प्राईवेट प्रैक्टिस पर लगी रोक का प्रभावी ढंग से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-2/2019/वे0आ0-2-08(1)/दस-2019-01(एम)/2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1. महालेखाकार (प्रथम) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय (पुरुष/महिला) उत्तर प्रदेश।
8. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. वित्त (सामान्य) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,
सरयू प्रसाद मिश्र
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।